New Delhi, the 5th April, 2017

S.R.O. 27.—In Pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following factory of Ordnance Factory Board, Kolkata more than 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:—

Ordnance Factory Badmal, Post-Ordnance Factory Badmal, Distt. Bolangir, Odisha, Pin-767770

> [F. No. 5 (2) 2011-D (OL-2)] S.S. RAWAT, Asstt. Director (O.L.)

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—1.इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - 2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 में,
- 1. नियम 2 में, शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्निस में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 - 2. अनुसूची में,-
- (क) सुरक्षा सहायक 'ग' पद के सामने,-
 - (i) स्तम्भ (4) में,-
 - (क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-"वेतन मैटिक्स में स्तर"
 - (ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी:— "स्तर-5 (29200-92300 रु.)",
- (ii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन शब्दों और अंकों "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रु.) में" शब्द, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ख) सुरक्षा सहायक 'ख' पद के सामने;
 - (i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी, अर्थात्:— "स्तर-4 (25500-81100 रु.)",

- (ii) स्तम्भ (11) में, "प्रोन्नित" शीर्षक के अधीन "वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रु.) में" शब्द, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ग) सुरक्षा सहायक 'क' पद के स्तम्भ (4) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखीं जाएंगी; अर्थात्:—

"स्तर-2, (19900-63200 रु.)"

[फा. सं. मासंविनि/87661/आरआर/सी/पी/01/267/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 का.नि.आ. 96 तारीख 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 20th March, 2017

- S.R.O. 28.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the president hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 2012, namely:-
 - 1. **Short title and commencement:- (1)** These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Security) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Security) Posts Recruitment Rules, 2012,-
 - (1) In Rule 2, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band and pay or pay scale" the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (2) In the schedule,-
 - (a) Against the post of Security Assistant 'C',-
 - (i) In Column (4).-
 - (A) For the heading, the following heading shall be substituted, namely:"Level in the pay matrix".
 - (B) For the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "Level-5 (Rs. 29200-92300)";
 - (ii) In column (11), under heading 'promotion', for the words and figures "in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs.2400", the words, figures and brackets "in level-4 (25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;
 - (b) Against the post of Security Assistant 'B',
 - (i) In column (4) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—
 "Level-4 (Rs. 25500-81100)";

- (ii) In column (11), under heading 'promotion', for the words and figures "in pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade pay of 1900", the words figures and brackets in "in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix" shall be substituted;
- (c) Against the post of security assistant 'A', in column (4) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2" (Rs.19900-63200)".

[F.No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01/267/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, dated 10th November, 2012 vide notification number S.R.O. 96 dated 31st October, 2012 and last amenderd vide notification number S.R.O. 9 dated 23rd December 2014.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 में, शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड, ग्रेड वेतन तथा वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-
- (क) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पद के लिए,-
- (I) स्तंभ 4 में,
 - (क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";
 - (ख) प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्:-"स्तर-13(118500-214100 रु.)"
- (II) स्तंभ (11) में,-
 - (क) 'प्रोन्नति' उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टियाँ "वेतन बैंड-3 में 7600 रु. ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रु. वेतनमान" के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)" रखी जाएंगी।
 - (ख) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन पैरा (क) (ii) में प्रविष्टियां "वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100" रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु." के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)" रखी जाएंगी।

- (ख) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए,
 - (i) स्तंभ (4) में,- प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200)" प्रविष्टियां रखी जाएगी;
 - (ii) स्तंभ (11) में,-
 - (क) उप शीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन "वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 6600 रु. सिहत वेतनमान 15600-39100 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67700-2087200 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
 - (ख) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन पैरा (क) (ii) में प्रविष्टियां "वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/सं.िन.(प्रशा)एवं मु.प्र.अ./सी/पी/01/ 554 /डी(आरएण्डडी)/2017] हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 53 तारीख 10 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

New Delhi, the 30th March, 2017

- S.R.O. 29.—In exercise of the powers cinferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013, namely:-
- 1. **Short title and Commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013 (hereinafter refered to as the said rules), in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band grade pay and scale of pay", the words "Levele in the Pay Matrix" shall be substituted.
- 3. In the said rules, in the Schedule,-
 - (a) against the post of Joint Director (Administative),-
 - (i) in column (4),
 - (A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—
 "Level in the Pay matrix";
 - (B) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—
 "Level-13 (Rs.118500-214100)"
 - (ii) in column (11),-